

# राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

—: प्रेस नोट :-


दिनांक : 29.11.2024

आयोग द्वारा गृह (अभियोजन) विभाग के लिए सहायक अभियोजन अधिकारी (**Assistant Prosecution Officer**) के कुल 181 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या 19/2023-24 दिनांक 07.03.2024 को राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा नियम, 1978 के अन्तर्गत जारी किया गया था। उक्त सेवा नियम में शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार है :-

1. Degree in Law (Professional) or integrated Law Course from a University established by law in India.
2. Working Knowledge of Hindi written in Devnagri Script and knowledge of Rajasthani dialects and social customs of Rajasthan.

उक्त सेवा नियम में शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में प्रवेशरत होने वाले/हो चुके अभ्यर्थियों हेतु परीक्षा की तिथि तक शैक्षणिक योग्यता अर्जित कर लेने संबंधी प्रावधान विहित नहीं है।

उक्त भर्ती विज्ञापित के क्रम में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि इस भर्ती के तहत आवेदन की अंतिम तिथि तक शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को ही पात्र माना जायेगा। अतः जो अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि तक शैक्षणिक अर्हता नहीं रखते हैं, वे अपना ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 30.11.2024 से दिनांक 09.12.2024 को रात्रि 12:00 बजे तक प्रत्याहारित करें। उक्त दिनांक के पश्चात् लिंक स्वतः ही निष्क्रिय हो जायेगा।

  
29/11/24  
(रामनिवास मेहता)  
सचिव